



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
 हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय /
AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE
 देवनहल्ली, बेंगलूर
DEVANAHALLI BENGALURU- 560300

स्थायी आदेश सं **Standing Order No.02/2020**, दिनांक **Dated.22.07.2020**.

विषय आई.सी.ई.एस में परेषित निर्यात के संबंध में आई.जी.एस.टी प्रतिदाय के संबंध में कार्यवाही

Subject: IGST Refund Processing of Courier Export in ICES - reg

उपर्युक्त विषय के संबंध में महा निदेशक, महा निदेशालय, प्रणाली, सी.बी.आई.सी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21.6.2020 को जारी किये गए आई.सी.ई.एस सलाह की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है (सभी अनुभाग को ई मेल द्वारा प्रेषित किया गया था) Attention is invited to ICES Advisory 21/2020 dated 26.06.2020 issued by DG, Systems, CBIC, New Delhi on the above mentioned subject (Copyforwarded to all Sections by e-mail).

2. कोरियर निर्यात के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि निम्न लिखित चरणों का अनुपालन करें।

All Officers concerned are directed to adhere the following steps for processing of IGST Refunds for Courier Exports:

2.1 चरण 1: डाटा आई.सी.ई.एस में उपलब्ध किया गया है-

पूर्व अपेक्षा के रूप में, कोरियर कंपनियों को यदि दायर किया गया तो मैनुअल लदान बिल को आई सी एस में ई.सी.सी.एस के एक उपभोज्य के तहत अपलोड करना है और उसके बाद आईसगेट के तहत वह आईसीईएस में प्राप्त होगा। उक्त प्रक्रिया, दिनांक 16.7.2020 को प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूर एयर पोर्ट एवं एयर कार्गो आयुक्तालय (एपी एवं एसीसी) द्वारा जारी की गई लोक सूचना सं 39/2020 में दिये गए विवरण (https://bangalorecustoms.gov.in/pdfhtmls_user/air_pn_39_2020.pdf प्रति उपलब्ध है) को आई.सी.एस में लदान बिल वार विवरण को अंतरण करने के लिए अनुपालन करना चाहिए।

STEP-1: The data is made available in ICES:

As a prerequisite, Courier Companies must upload data related to Manual Courier Shipping Bill, if filed, in ICES through a utility in ECCS and thereafter, the data shall be received in ICES via ICEGATE. The above said Process as detailed in **Public Notice No. 39/2020 dated 16.07.2020 issued by the Principal Commissioner of Customs, Bengaluru Airport & Air Cargo Commissionerate (AP&ACC)** (Copy available at https://bangalorecustoms.gov.in/pdfhtmls_user/air_pn_39_2020.pdf) need to be followed for transmitting the Shipping Bill wise data to ICES.

2.2 चरण 2: आई.जी.एस.टी - वी.एफ.एन द्वारा सत्यापन एवं अनुमोदन -

एक बार ईसीसीएस डाटा आईसीईएस में उपलब्ध करने के बाद, आई.सी.ई.एस में पहले से उपलब्ध आई.जी.एस.टी - वी.एफ.एन माड.यूल को अपलोड किये गए डाटा के अंतिम सत्यापन एवं अनुमोदन के लिए उपयोग करना पड़ेगा। यह वही माड्यूल है जो मैनुअल / गैर ई.डी.आई लदान बिलों के आई.जी.एस.टी प्रतिदाय संबंधी सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। इस संबंध में सिस्टम प्रबंधक (एस.एम) या अतिरिक्त सिस्टम प्रबंधक (ए.एस.एम) एया पोर्ट एवं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय, बेंगलूरु (अब से बेंगलूरु एपी.एवं एसीसी) को आई.जी.एस.टी - वी.एफ.एन रोल हेतु कोरियर आई.जी.एस.टी प्रतिदाय को संभालनेवाले अधिकारी(रयों) को आई.सी.ई.एस के अन्य रोल की तरह मैप करना चाहिए। उदाहरण के लिए एस.एम/ए.एस.एम, बेंगलूरु एपी एवं एसीसी (आई.एनबी.एल.आर.4) को कोरियर सेल बेंगलूरु से संबंधित आई.जी.एस.टी प्रतिदाय के कार्य करनेवाले सीमा शुल्क अधिकारी को आई.जी.एस.टी - वी.एफ.एन में रोल अंकित करना है।

STEP-2: Verification and approval through IGST_VFN role -

Once the ECCS data is made available in ICES, an existing **IGST_VFN** Module in ICES is required to be used for the final verification and approval of the uploaded data. This is the same Module which is also used for IGST refund related verifications of Manual/non-EDI Shipping Bills. In this regard, the Systems Manager (SM) or Alternate System Manager (ASM) in charge of Air Port & Air Cargo Complex Commissionerate, Bengaluru (herein after referred to as 'Bengaluru AP&ACC'), is required to map the Officer(s) dealing in **Courier IGST refunds** for the IGST_VFN role, like any other role in ICES. Say for example, the SM/ASM of Bengaluru AP&ACC (INBLR4) location needs to allot the role of IGST_VFN to the Customs Officer dealing with IGST refunds pertaining to Courier Cell at Bengaluru.

यदि, बेंगलूरु एपी एवं एसीसी के संबंधित अधिकारियों को मैप नहीं किया गया तो, पहले वह किया जाए। संबंधित अधिकारी को, जिनको रोल अंकित किया गया है, उनको मास्टर एयर कार्गो साईट में जाकर लॉग इन करना है, चयन करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेनु दिखायेगा, जो उपयोगकर्ता को बेंगलूरु एपी.एवं एसीसी के पोर्ट कोड को चयन करने के लिए बतायेगा। पोर्ट कोड को चयन करके, मैनुअल आई.जी.एस.टी सत्यापन विकल्प को चयन करने से नीचे दिये गए स्क्रीन आयेगा। उपयोगकर्ता लदान बिल को इंदराज करके इसीसीएस प्रणाली द्वारा अंतरित किये गये विवरण को देख सकते हैं। खाता विवरण फील्ड को छोड़कर बाकी सभी फील्ड गैर एडिटेबल है। संशोधन सेव करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आई.सी.ई.एस के इस रोल में लदान बिल सत्यापन करके प्रस्तुत न करने पर आई.जी.एस.टी प्रतिदाय प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा। चूंकि आई.सी.ई.एस में इंदराज किये गए विवरण अधिकारी द्वारा ई.सी.सी.एस में इंदराज किये गए विवरण ही होने के कारण, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ई.सी.सी.एस में सही विवरण का इंदराज किया जा रहा है। अपरिहार्य परिस्थिति में जब अंतरित किये गये डाटा सही नहीं है और जी.एस.टी.एन डाटा के साथ विसंगति पायी गयी तो आई.जी.एस.टी.एन. वी.एफ.एन रोल में पुनः मानकीकरण के लिए सुविधा उपलब्ध किया गया है।

In case the Officers concerned are not mapped to the Bengaluru AP&ACC, the same may be done first. The Officer, who

is assigned this role, will have to login from the Master Air Cargo Site and on selection, a dropdown menu will be shown prompting the user to select the Port Code of the Bengaluru AP&ACC. On selecting the Port Code and clicking the Manual IGST Verify option, the Screen as below would appear. User can then enter the Shipping Bill and view details as transmitted from ECCS System. All fields are non - editable except the Account details. User needs to submit to save changes. **Unless a Shipping Bill is verified and submitted in this role in ICES, it will not be considered for IGST Refund Procedure.** Since the data reflected on ICES will be the same as entered by the Officer in the ECCS Application, it may be ensured that the data is entered in the ECCS Application correctly. In the exceptional circumstances that the data transmitted is incorrect and results in mismatch with the GSTN data after submission in ICES, facility to revalidate the data has been made available in IGSTN_VFNrole.



CHANGE LOCATION
K&S TEMPLATE
MANUAL (IMP)
ICAN
EXPORT
FPO
REPORT
EXIT



SB NO :	SB DATE :	Cur Site:
14005,18/02/2020,INBOM4	18/02/2020	SubOm4
<input type="button" value="View"/>		

All fields marked as (*) are mandatory.
 If there are multiple records with same data having different date and if it doesn't appear in the list, you can click on the old format of the data on 18/02/2020.



SB No: 14005	SB Date: 18/02/2020	Location: INBOM4	Subunit Location: INBOM4	Cur Of Dist:
IC: 0000040007	EXP Name: MIRA ONLINE SERVICES PVT LTD	CHA No: 1113100114 (00)	IFSC Code: KARB0000001	Bank Ac No: 1228012000
GTIN ID: 97AADC38992M1Z	GTIN IN: 19016	PAN: AADL12092131	Date Origin: 27	FOB Amt:
LEO Date: 18/02/2020	EGM No: 953234	EGM Date: 18/02/2020	EXP Reg No. Dt:	Verid PA Track No. Dt:
IGST Amt Paid: 193.26	Taxable Value: 8112.5	GSI Cur Amt: 79	Total IGST Paid: 193.26	

Invoice No.	Inv No.	Date	Pay Term	Invoice Value	Net Amount Paid	Net Invoice Amt	IGST Paid	Total Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST
MIIM13782	18	2020	1	18/02/2020	8112.5	50	193.26	135.26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Invoice Item	Item No.	Taxable Value	Net Amount Paid	Net Invoice Amt	IGST Paid	Item Description	HSN Code	Quantity	Unit	Rate	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value	IGST	Net Invoice Value
1	1	4476.5	48.36	20	68.26	Customized Fashion Garments: Apparels (Blue Kurti Made (M Faux Georgette)	61149000	1	MTR										
1	2	3637	60	10	70	Customized Fashion Garments: Apparels (Kurti Made (M Crepe)	61149000	1	MTR										

- 2.3 चरण 3: निर्यातकर्ता द्वारा आई.सी.ई.एस में खाता विवरण को प्रस्तुत करने के संबंध में -**
अगर अद्यतन नहीं किया गया तो निर्यातकर्ता का खाता विवरण को सी.एल.के रोल में अद्यतन करना होगा। अगर खाता विवरण उपलब्ध नहीं है और पी.एफ.एम.एस स्वीकार नहीं किया गया तो, लदान बिल की प्रस्तुति में यह चरण संभव नहीं है।

STEP-3: Submission of Account details of the Exporters in ICES -

The Account details of the Exporter will have to be updated in the CLK role, if not updated. Unless the account details are available and accepted by PFMS, the submission of the Shipping Bill in the above step will not be possible.

- 2.4 चरण 4 आई.जी.एस.टी मानकीकरण कार्यवाही-**

एक बार कोरियर लदान बिल का सत्यापन करके आई.जी.एस.टी -वी.एफ.एन रोल में प्रस्तुत किया तो, सिस्टम जी.एस.टी.एन से प्राप्त जी.एस.टी.आर.एन 1 डाटा के साथ डाटा को समांजस्य करने के लिए सिस्टम मानकीकरण कार्यवाही को रन करता है। इसमें कोई विसंगति होने पर विसंगति त्रुटि को जनरेट करता है जो निर्यातकर्ता को उनके अधीन होनेवाले आईसगैट वेब साइट में उपलब्ध होगा एवं अधिकारी को आई.सी.ई.एस में आई.जी.एस.टी -वी.एफ.एन रोल के में उपलब्ध आई.जी.एस.टी समेकिन स्टेटस रिपोर्ट में उपलब्ध होगा। विभिन्न तरह के त्रुटियां का विवरण निम्न प्रकार है।

STEP-4: IGST Validation Procedure -

Once the Courier Shipping Bills are verified and submitted in the IGST_VFN role, System runs the validation process of matching the data with the corresponding GSTR-1 data received from GSTN. Any mismatch in data generates the mismatch error, which is available both to the Exporter on ICEGATE Website under his login, and to the Officer in ICES through the IGST Integration Status Report available in the IGST_VFN role. The details of the various error codes are as follows:

त्रुटि कोड / Error Code	त्रुटि का विवरण / Error Description
SB001	अमानकीकृत एस.बी.विवरण - जी.एस.टी.आर.एन 1 एवं सीमा शुल्क में दिये गए एस.बी.सं, दिनांक/पोर्ट कोड में विसंगति होगा या उपर्युक्त सलाह में दिये गए विवरण के अनुसार एस.बी.की प्रस्तुति आई.सी.ई.एस में नहीं किया होगा। Invalid SB Details - SB No/SB Dt/Port Code do not match between GSTR 1 and Customs or the SB has not been submitted in ICES as detailed above in the advisory.
SB002	ईजीएम न दायर करने EGM Not Filed
SB003	जी.एस.टी.आई.एन विसंगति / GSTIN Mismatch
SB004	एक मानक रिकार्ड का दुबारा अंतरण करना - जो त्रुटि नहीं है Repeat Transmission of a Valid Record - Not an error as such
SB005	बीझक विसंगति / Invoice Mismatch
SB006	गेटवे ई.जी.एम न दायर करना (सह कोरियर एस बी के लिए नहीं होगा) / Gateway EGM Not filed (Will not come for Courier SBs)

अगर उपर्युक्त त्रुटियां सही रूप से रिटर्न न दाखल करने पर होगा तो, निर्यातकर्ता को जी.एस.टी.आर.आई.एन में संशोधन करने के लिए सुझाव दी जा सकती है।

If the above said error is due to incorrect filing of Returns, Exporter may be advised to amend the same in GSTR-1.

2.5 चरण 5: प्रतिदाय स्काल का जनरेशन -

मैन्युअल लदान बिलों के लिए अस्थायी एवं अंतिम स्काल जनरेट करने का विकल्प पहले से ही सीएलके एवं डी.बी.के.एसी रोल में क्रमशः उपलब्ध है। बेंगलूरु एपी एवं एसीसी में के अधिकारियों जिनके पास यह रोल होगा वे सफलतापूर्वक मानकीकरण किये गए लदान बिल के स्काल को जनरेट कर सकते हैं।

Step 5: Generation of Refund Scroll -


The options to generate temporary and final scrolls for Manual Shipping Bills are already available in CLK and DBK_AC roles respectively. Officers at Bengaluru AP&ACC having these roles will be able to generate the scrolls of the successfully validated shipping bills.

3. बेंगलूरु एपी एवं एसीसी के सिस्टम प्रबंधकों को यह निदेश दिया जात है कि, बेंगलूरु एपी एवं एसीसी के अधिकारियों के मैपिंग एवं रोल आबंटन को सुनिश्चित करें और उनको आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित रूप से मार्गदर्शन करें।

System Managers (SMs) of Bengaluru AP&ACC are also directed to ensure mapping and role allocation of the respective Customs Officers at Bengaluru AP&ACC and guide them suitably for necessary action at their part.

4. इस स्थायी आदेश के कार्यान्वयन में कोई तकलीफ हो तो उसको संयुक्त आयुक्त (कोरियर) एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय देवनहल्ली, बेंगलूरु को तत्काल सूचित किया जाए।

Difficulties, if any, faced in the implementation of this Standing Order may be brought to the notice of the Joint Commissioner of Customs (Courier), Air Port and Air Cargo Commissionerate, Devanahalli, Bengaluru, immediately.


22/07/2020
(अशोक/ASHOK)
प्रधान आयुक्त
PRINCIPAL COMMISSIONER

प्रतिप्रस्तुत / Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु /
The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R.
Building, Bengaluru

प्रतिप्रेषित / Copy to:

- 1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate,
Bengaluru
- 2) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाइट /Bengaluru Customs Website

3)सूचनापट्ट /Notice Board.

4) मास्टरफाइल/ Master File